न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 01 / 2022 राजस्व अपील

अनवान

1— रविशंकर गिरी पिता गोपाल गिरी निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।

—अपीलार्थी

बनाम

1— सलीमखां पिता सरदारखां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।
2— ग्राम पंचायत सरदारनगर पंचायत समिति बनेड़ा जिला शाहपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सरदारनगर तहसील बनेड़ा।
3— राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 3942 दिनांक 21.05.2021 ग्राम पंचायत सरदारनगर तहसील बनेड़ा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— मुरारी जोशी (अधिवक्ता अपीलार्थीगण)

आदेश

दिनांक 14.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी की और से न्यायालय में निवेदन किया की ग्राम सरदारनगर पटवार क्षैत्र सरदारनगर भू.अ.नि. क्षैत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा का खसरा सं. 53 रकबा 1.1508 है0 भूमि अपलीर्थी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से दिनांक 03.11. 2020 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 165 में पृष्ठ सं. 39 क्रम सं. 202003040101597 पर पंजीबद्ध है जो क्रय की गई। उक्त विक्रय सुदा आराजी का नामान्तकरण सं. 3942 दिनांक 21.05.2021 को पटवार हल्का एवं गिरदारवर द्वारा जांच की जाकर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया व ग्राम पंचायत की कोरम में दिनांक 21.05.2021 को प्रस्ताव सं. 03 उक्त नामान्तकरण खारीज अस्वीकृत किया जाता है सलीम खां की पत्नी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोर्ट में वाद दर्ज कराया गया है इसलिये उक्त नामान्तकरण निरस्त किया है जबकि उक्त आराजी में न तो स्थगन है व न ही ग्राम पंचायत में कोई स्थगन की प्रति दी है जिसके कारण नामान्तकरण खारीज हो सके फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण को गलत निरस्त किया है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण सं. 3942 को स्वीकार फरमाया जाकर विक्रय पत्र के माध्यम नामान्तकरण खुलवाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को सम्मन नोटिस जारी किये गये। किन्तु उप नहीं अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वकली अपीलार्थी की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तकरण सं. 3942 को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम खुलवाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपील मैमो में वर्णित तथ्यों का अध्ययन एवं मनन किया गया।

पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण सं. 3942 दिनांक 21.05.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी एवं भू.अ.नि. सरदारनगर के टिप्पणी अनुसार मुताबिक रजिस्टर्ड दस्तावेज रिकार्ड, रिपोर्ट अनुसार अंकन सही की टिप्पणी अंकित है। भू.अ.नि. सरदारनगर की रिपोर्ट के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सरदारनगर के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 21.05.2021 से नामान्तकरण को बिना किसी ठोस आधार खारिज करना युक्तिसंगत निर्णय

पर पहुँचना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के कथनों की सत्यता की पुष्टि एवं जॉच हेतू न्यायहित में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सरदारनगर के नामान्तकरण संख्या 3942 फैसल दिनांक 21.05.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त ऑब्जरवेशन के साथ अजसिरे सुनवाई हेतु तहसीलदार बनेड़ा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज, न्यायालय के स्थगन की जॉच एवं उन्हें समुचीत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त नामान्तरकरण प्रकरण का 6 माह की समयावधि में अज सिरे नवीन आदेश जारी करें। अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतू तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतू 09/09/2024 उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय / कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
★ बनेड़ा–शाहपुरा ★

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा